

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पंखों से नारी शिक्षा उड़ान

अमित अग्रवाल*
अभिषेक कुमार सिंह**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख के, कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' तैयार किया। फिर 29 जुलाई, 2020 को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत सरकार द्वारा घोषित की गई। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों नारी और पुरुष द्वारा होता है। नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा होती है, क्योंकि वह परिवार का केंद्र बिंदु होती है। यदि एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब नारी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल चुकी है, नारी को यह संज्ञान है कि उनका शिक्षित होना ही उन्हें बेहतर जीवन दे सकता है। नारी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास की ओर निरंतर अग्रसर है। सरकार की ओर से भी नारी शिक्षा को लेकर अनेकों योजनाएँ बनी हैं, जिसके माध्यम से वह लाभान्वित हो रही हैं।

एक नारी जीवनपर्यंत बेटी, बहन, पत्नी और माँ जैसी किरदारों का निर्वाह करती है। इस प्रक्रिया में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना करने का आत्मबल उन्हें शिक्षा ही प्रदान करती है। शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है और उसमें स्वावलंबन के गुणों का भी विकास करती है पर यह भी सच है कि प्राचीन समाज को आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित हो रही हैं। उन्हें कम

से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है, इसी कारण आज भी महिलाओं का एक हिस्सा अत्यंत निचले स्तर पर है।

आज़ादी के सात दशकों के बाद भी नारी शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि 100 वर्ष पहले गाँधी जी, मदन मोहन मालवीय के नारी शिक्षा के प्रति जो विचार व्यक्त किए गए, वह आज भी साक्षात् दिखाई दे रहे हैं। हम वहीं के वहीं खड़े नज़र आते हैं।

* सहायक प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, रजा नगर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश

** सहायक प्राध्यापक, रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 110 019

हमने नारी शिक्षा पर केवल मुखौटा लगाया है। नारी शिक्षा के नाम पर केवल दुकान चला रहे हैं। आय का एक माध्यम बना रखा है। गाँधी जी कहते थे शिक्षा के दो समूह हैं। आज भी हैं— एक सुविधा संपन्न एवं दूसरा सुविधा वंचित। दोनों ही समूहों में रंग रूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर जारी रहता है, दोनों समूहों के बीच मेल-मिलाप नहीं के बराबर रहे, इनके आर्थिक स्वार्थ टकराते हैं। प्रभावशाली सुविधा संपन्न लोग जब सुविधा वंचित लोगों को अपने समूह में सम्मिलित करते हैं तो उसकी कीमत वसूलते हैं। इससे गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर, और अमीर हो जाता है। एक पीएच.डी. किया हुआ प्रोफ़ेसर दूसरे को पीएच.डी. करवाता है और अध्यापक बनने में मदद करता तो अपवादों को छोड़ दें तो कितनी कीमत वसूलता है, उसका उल्लेख न करना ही बेहतर है। वास्तविक रूप में देखें तो स्वाधीनता के बाद इस शिक्षित वर्ग ने अंग्रेज़ी को पूरी तरह से अपना लिया। यह शैक्षिक भेदभाव संस्थागत होता आ रहा है, इसे एक तरह से सामाजिक मान्यता मिलती जा रही है।

भारत में लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं का बैंक खाता नहीं है। इनमें बहुत-सी महिलाएँ अपनी साधारण-सी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे पर निर्भर हैं। उनके बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, संतुलित भोजन की कमी है तथा उनके आय के साधन इतने कम हैं कि वे किसी व्यवसाय के बारे में भी सोच नहीं सकतीं। ऐसी महिलाएँ दूसरे के यहाँ मज़दूरी करने के लिए बाध्य हैं, जहाँ न केवल मानसिक बल्कि कभी-कभी अनैतिक एवं शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।

यदि उन महिलाओं की पहुँच बैंक तक हो जाए तो इनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। यह सब तभी संभव है जब नारी शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।

शिक्षा के पंखों से उड़कर,
छू लो सपनों का संसार।

शोध के उद्देश्य

- (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नारी शिक्षा को समझना।
- (ख) नारी शिक्षा की पृष्ठभूमि या उसकी आवश्यकता को समझना।
- (ग) क्रॉस कटिंग टीम को समझना और उसका विश्लेषण।
- (घ) नारी शिक्षा के संबंध में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना।

नारी शिक्षा की पृष्ठभूमि

जब महिलाओं की पहुँच वित्तीय संस्थानों तक हो जाती है तो वे अपना खुद का उद्यमिता या व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं। वे उपकरण आदि खरीद सकती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती हैं। रोज़गार सृजन वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच के कारण महिला उद्यमी नये रोज़गार का सृजन करती हैं। महिलाएँ सामान्यतः अपनी कमाई का अधिकांश भाग अपने परिवार कल्याण पर व्यय करती हैं। अतः महिलाओं की आय बढ़ने पर परिवार कल्याण के कार्यक्रम सफल होंगे जबकि पुरुष अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा विनियोग करता है। महिलाओं की पहुँच महिलाओं तक आसानी से हो पाती है अतः महिलाएँ महिला कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। बेरोज़गारी तभी पनपती है जब जनसंख्या आर्थिक संसाधनों की तुलना में तीव्रगति से बढ़ जाती है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्री

सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण में महिला भूमिका निभा सकती है।

बीमारी, गंदगी, अंधविश्वास और धर्मांधता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए महिला साक्षरता रामबाण दवा का काम करेगी। हमारे समाज में आज जो अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसका एक मात्र कारण अशिक्षा है। समाज से गरीबी के कलंक को मिटाना है तो महिलाओं को निरक्षरता को समाप्त करना ही होगा।

महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अर्थात् समाज शिक्षित होता है। शिक्षित महिला न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है बल्कि अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूक भी करती है। आजकल पारिवारिक विघटन का प्रचलन बढ़ा है। मोबाइल का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है जो न केवल मानसिक रूप से बीमार कर रहा है बल्कि उनकी सहनशीलता, अनुकरणशीलता, सामाजिकता की भावना को भी समाप्त कर रहा है। यदि माँ बहनें पढ़ी लिखी हों तो वे बच्चों को इन बुराइयों के प्रति सचेत कर सकती हैं। देश में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अंतर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर नहीं अपितु शिक्षा के आधार पर है। हमारे यहाँ दो वर्ग हैं— पहला सुविधा संपन्न शिक्षित और दूसरा गरीब अशिक्षित और ये वर्ग अपनी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखे हुए हैं और धरातल पर देखें तो शिक्षा पुरातनी चीज बन गई

है। यदि वह महिला है और सफल हो गई तो राष्ट्रीय समाचार की सुर्खियाँ बन जाएगी।

बेटी से संसार बना है

बेटी है तो कल है।

उसे बचाओ खूब पढ़ाओ

यही लक्ष्मी का फल है।

क्रॉस कटिंग थीम

क्रॉस कटिंग से अभिप्राय दो या दो से अधिक स्वतंत्र विचारों या गतिविधियों को आपस में जोड़ना अर्थात् एक तीर से कई निशाना या पलटकर बोलें तो कई निशानों/उद्देश्यों को एकीकृत करना। क्रॉस कटिंग थीम की कोई मानक सूची नहीं है। एक आवेदन में एक क्रॉस कटिंग थीम दूसरे में प्राथमिक विषय से ही सकती है जबकि कुछ थीम दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से एकीकृत हो जाती हैं। क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा दीर्घकाल से भारतीय समाज में महिलाओं को महत्व दिया गया है। नयी शिक्षा नीति 2020 में भी नारी शिक्षा को क्रॉस कटिंग थीम के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। क्रॉस कटिंग थीम में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है— क. लैंगिक समानता; ख. विविधता और समावेशन; ग. पर्यावरणीय स्थिरता; घ. आजीविका विकास; ङ. गरीबी घटाना और च. सबकी भलाई।

उपरोक्त सभी विषयों का विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रॉस कटिंग थीम के अंतर्गत महिला शिक्षा

सारणी 1 (उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई रैंक)

क्रमांक	थीम	रैंक
क.	शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना और रोल मॉडल तैयार करना।	1
ख.	स्कूल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।	2

ग.	स्कूल उपस्थिति बढ़ाने हेतु सामाजिक प्रयासों और जेंडर संबंधी रूढ़ियों को समाप्त करना।	3
घ.	अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु लड़कियों और महिलाओं को केंद्र में रखना।	4
ङ.	स्कूलों में लैंगिक संवेदनहीनता को समाप्त करने के लिए कदम उठाना।	5
च.	सामाजिक वर्गों के बीच गैर-बराबरी को दूर करना। (पहुँच, भागीदारी और अधिकार स्तर)	6
छ.	स्कूल व्यवस्था में 100 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में अधिकाधिक लड़कियों की भागीदारी	7
ज.	सभी स्तरों पर शैक्षिक उपलब्धियों और लड़के-लड़कियों के बीच अंतर को कम करना।	8
झ.	मानसिकता में बदलाव लाना और नुकसानदेह प्रथाओं को समाप्त करना।	9
ञ.	सिविल सोसाइटी के साथ संवाद, अनुदान एवं विवेकाधीन कोष तैयार करना।	10

स्रोत— स्वतः सर्वेक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाएगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। एन.ई.पी. को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ स्कूली शिक्षा में ये बदलाव

- 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन
- रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू

- 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर
- बच्चों के लिए नए कौशल— कोडिंग कोर्स शुरू
- एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़-मेन करिकुलम में शामिल
- वोकेशनल पर जोर— कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई
- नयी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार— बोर्ड एंजाम दो भाग में
- रिपोर्ट कार्ड में लाइफ़ स्किल्स शामिल
- साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बालिकाओं के विकास को लक्षित करने के लिए 'लिंग समावेशन कोष' की शुरुआत की है। भारत सरकार सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करने के लिए एक 'लिंग समावेशन कोष' का गठन करेगी। यह फंड स्कूली शिक्षा में लड़कियों के 100 प्रतिशत नामांकन और उच्च शिक्षा में रिकॉर्ड भागीदारी दर सुनिश्चित करने, सभी स्तरों पर लिंग अंतर को कम करने, लिंग समानता का अभ्यास करने और समाज में समावेश करने और सकारात्मक

नागरिक संवादों के माध्यम से लड़कियों की नेतृत्व क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। फंड राज्यों को प्रभावी समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करने और स्तरीकृत करने में सक्षम करेगा जो लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए स्थानीय संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिसर के अंदर और बाहर स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। वार्षिक मान्यता के लिए सूचीबद्ध होने से पहले स्कूलों को उत्पीड़न, भेदभाव और दबंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करना होगा। इससे कक्षा में बालिकाओं की उपस्थिति संख्या में वृद्धि होगी। यह नीति उन सामाजिक रीति-रिवाजों और लैंगिक रुढ़ियों की पहचान करेगी जो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं और नियमित रूप से स्कूल छोड़ने का कारण बनती हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है— स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना (आई.एस.एस.ई.) जिसके तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। एप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे— एप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आई.सी.टी. से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बालवाटिका 5 वर्ष की आयु से पहले हर

बच्चा एक 'प्रारंभिक कक्षा' या 'बालवाटिका' (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ई.सी.सी.ई. योग्य शिक्षक है।

कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग स्कूल शिक्षा सचिव ने कहा कि कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाएगी।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है।

शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच

ड्रॉपआउट्स को पुनः स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2030 तक 3–18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुँच और भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया है।

स्थानीय भाषा/मातृभाषा में शिक्षा

बच्चे 2–8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, इसलिए बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही तीन भाषाओं में विसर्जित कर दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) में स्वीकृत किए गए हैं।

निष्कर्ष

मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करने वाले, प्रगति के सब्जबाग दिखाने में निपुण हो गए हैं, दिखावटी सुधार एवं विकास, विश्वभर में प्रचार एक उद्योग बन गया है। क्या जनसाधारण के स्वप्न एवं चिर संचित आकांक्षाएँ पूरी होने लगी हैं। स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और कुछ के निर्णायक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा नीति में अपेक्षाकृत बिखराव आया है और सभी सरकारें अपना-अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। शैक्षिक विकास के मॉडल की एक पक्षीय विकृत तुष्टि के कारण सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, जातीय धार्मिक क्षेत्रीयता, भाषाई कट्टरता आदि तरह-तरह की विसंगतियों की ओर ले जा रही है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* नारी शिक्षा के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा यदि वह वंचित समाज तक विभिन्न भागीदारों के सहयोग से नारी को शत-प्रतिशत शिक्षा देने में सफल रहती है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावशाली क्रियान्वयन के अतिरिक्त सामाजिक सहभागिता और विचारधारा में परिवर्तन भी आवश्यक है। रा.शै.अ.प्र.प., जहाँ पाठ्यक्रम में समाज को नारी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नारी में लाइफ़ स्किल विकसित करने की विधाओं का भी विकास करने पर बल देने की आवश्यकता है। यदि पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होगा, नारी की इच्छा और अभिरुचि के अनुसार होगा तब वह शिक्षा के प्रति और अच्छे ढंग से अभिप्रेरित होकर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ पाएगी। माता-पिता बालिकाओं की शिक्षा

में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; अतः यह महत्वपूर्ण है कि बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में पहले माता-पिता को बताया जाए। लघु फ़िल्मों के माध्यम से भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। माता-पिता को कैसे यह समझाया जाए कि वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने पर ज़्यादा ज़ोर दें न कि किशोरावस्था में ही उनकी शादी करने पर। उन्हें यह समझाया जा सके कि उनकी लड़कियाँ उनके लिए आर्थिक बोझ स्वरूप नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के महत्व पर भी बल दिया जाए, क्योंकि अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होंगी तो उन्हें शिक्षित करने के लिए माता-पिता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पी.पी.पी. मॉडल और समुदाय की भागीदारी का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच के लिए उचित तंत्र या तरीके को अपनाए जाना चाहिए। सरकार बालिका शिक्षा के लिए निजी संस्थान कार्यक्रम और समुदाय बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करे और कैग से जाँच की व्यवस्था हो। हर 1 कि.मी. पर एक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय खोला जाए। हर 5 कि.मी. पर एक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय खोला जाए। प्रत्येक तालुका में एक कॉलेज खोले जाने का सुझाव दिया। इसके पीछे उनका मत यह था कि कॉलेज खत्म होने के बाद माता-पिता 12वीं कक्षा के बाद अपनी लड़कियों पर पढ़ाई छोड़ने का दबाव नहीं बना सकेंगे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जनक शिक्षक संघ को अत्यंत मज़बूत बनाया

जाए। मध्याह्न भोजन योजना को पुनर्नवीकरण किया जाए। छात्राओं की मदद के लिए टोल फ्री छात्र हेल्पलाइन शुरू की जाए। छात्राओं की मदद के लिए एक वेबसाइट और टीवी चैनल बनाया जाए। विद्यालयों की संख्या बढ़ाने और शिक्षक-

छात्र अनुपात को कम करने पर बल दिया जाए। एकल विद्यालय खोला जाए जहाँ शिक्षित ग्रामीण अपने घरों के आसपास के क्षेत्र में छात्राओं को शिक्षा प्रदान कर सकें। स्कूलों में उचित स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया।

संदर्भ

- अंसारी, एम.ए. 2001. *महिला और मानवाधिकार*. ज्योति प्रकाशन, जयपुर.
- कानिटकर, मुकुल. 2016. भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका. *योजना* (सितंबर)
- जैन, प्रतिभा. 1998. *भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ*. रावत पब्लिकेशन, जयपुर.
- तिवारी, आर.पी. 1999. *भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान*. नयी दिल्ली.
- देवपुरा, प्रतापभल. 2006. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व. *कुरुक्षेत्र*. अंक 5 (मार्च).
- मकोल, नीलम और संदीप शर्मा. 2006. सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान. *कुरुक्षेत्र* (सितंबर).
- मिश्रा, के.के. 1965. *विकास का समाजशास्त्र*. वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर.
- लवानिया, एम.एम. 1989. *समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ*. रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर.
- व्यास, मिनाक्षी. 2008. *नारी चेतना और सामाजिक विधान*. रोशनी पब्लिकेशंस, कानपुर.
- श्रीवास्तव, सुधा रानी. 1999. *भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति*. कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नयी दिल्ली.